

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : अश्विन के. पंवार आर.ए.एस

राजस्व अपील सं. 102 / 2022

अपीलार्थी-

ईनायत पुत्र सफी मोहम्मद जाति
मुसलमान निवासी सिणधरी
चौसीरा तहसील सिणधरी व जिला
बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता-

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील सं. 103 / 2022

अपीलार्थी-

हुसैन मोहम्मद पुत्र जामल खां
जाति मोयला निवासी सिणधरी
चौसीरा तहसील सिणधरी व जिला
बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता-

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील सं. 104 / 2022

अपीलार्थी-

आसीन खां पुत्र उरस खां जाति
मोयला निवासी सिणधरी चारणान
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता-

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील सं. 105 / 2022

अपीलार्थी-

आमीन खां पुत्र खमीस खां जाति
मोयला निवासी सिणधरी चौसीरा
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता-

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील सं. 106 / 2022


अपीलार्थी-

असकर खां पुत्र सुल्तान खां जाति
मोयला निवासी सिणधरी चौसीरा
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता-

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार सिणधरी


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

राजस्व अपील सं. 107 / 2022

अपीलार्थी-

अजीम खां पुत्र असकर खां जाति
मोयला निवासी सिणधरी चारणान
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता-

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील सं. 108 / 2022

अपीलार्थी-

सिकन्दर पुत्र मांगू खां जाति
कोटवाल निवासी सिणधरी चौसीरा
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता-

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील सं. 109 / 2022

अपीलार्थी-

सलीम खां पुत्र गनी खां जाति
कोटवाल निवासी सिणधरी चौसीरा
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता-

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार सिणधरी

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.09.2022 जो क्रमशः प्रकरण सं. 25/2022, 26/2022, 32/2022, 33/2022, 35/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022 में तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. तहसीलदार सिणधरी उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय


दिनांक : 27.01.2023

1. उपरोक्त आठ अपीलों में एक समान विषयवस्तु होने से एक संयुक्त निर्णय द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रकरण सं. 25/2022, 26/2022, 32/2022, 33/2022, 35/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2022 के विरुद्ध पेश की गई है।



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का सिणधरी द्वारा तहसीलदार सिणधरी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिणधरी चौसीरा के खसरा नम्बर 61/11 रकबा 0.9951 हैक्टेयर में से कमशः 0.0003 हैक्ट., 0.0009 हैक्ट., 0.0014 हैक्ट., 0.0014 हैक्ट., 0.0014 हैक्ट., 0.0010 हैक्ट., 0.0010 हैक्ट., 0.0010 हैक्ट. कुल रकबा 0.0084 हैक्टर किरम गै. मु.कब्रिस्तान भूमि पर गैर सायलों द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 08.07.2022 जारी कर दिनांक 21.07.2022 से पूर्व अतिक्रमित भूमि खाली करने अथवा स्वयं या प्लीडर को दिनांक 22.07.2022 को 10.30 बजे पूर्वाह्न अदालत हाजिर होने बाबत तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के पश्चात दिनांक 13.09.2022 को गैर सायलगण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 08.07.2022 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर होने से न्यायालय तहसीलदार सिणधरी के फैसला दिनांक 23.09.2022 तक अपीलकर्ताओं को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाने के बावजूद गैर सायलगण लगातार अनुपस्थित रहे। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा गैर सायलों को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 23.09.2022 के द्वारा 50.00/- रुपये जुर्माना अधिरोपित करने एवं अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटगण ने दिनांक 03.11.2022 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अपीलांटगण की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।
4. तहसीलदार सिणधरी ने जवाब पेश किया साथ ही माननीय राज. उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति पेश की। निर्णय दिनांक 10.11.2022 की प्रति पेश की जो शामिल मिसल हो।
5. बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांटगण अनुपस्थित रहने से हमने रेस्पोंडेंट की ओर से उपस्थित तहसीलदार सिणधरी की एकपक्षीय बहस सुनी एवं अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील में उल्लेखित तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलांटगण के द्वारा इस अपील के द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को जवाब हेतु अवसर चाहा एवं पत्रावली दिनांक 19.09.2022 को निश्चित की गई एवं तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 23.09.2022 को निश्चित कर अपीलांटगण का जवाब बन्द कर एकपक्षीय रूप से, एवं अपीलकर्ताओं को जवाब बन्द कर एकपक्षीय रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विधि विरुद्ध जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांटगण की ओर से यह भी प्रकट किया है कि अपील रवीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2022 को निरस्त किया जावे।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

6. उत्तरदाता तहसीलदार सिणधरी ने एक पक्षीय बहस में बताया कि माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में अपीलार्थीगण की ओर से S.B. Civil Writ Petition No. 16853/2022, 16867/2022, 16869/2022, 16870/2022, 16872/2022, 16893/2022, 16891/2022, 16881/2022 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा दिनांक 10.11.2022 के द्वारा आदेश पारित किया कि न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर के प्रस्तुत अपीलों का एक माह के भीतर बाद सुनवाई निस्तारण किया जावे। याचीगण को माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा प्रस्तुत अपीलों का निस्तारण करने एक माह का समय प्रदान किये जाने के बावजूद भी अपीलार्थीगण स्वयं व उनकी ओर से पैरवी के लिए उनके अधिवक्ता लगातार तारीख पेशी 02.01.2023, 24.01.2023, 27.01.2023 तक उपस्थित नहीं हुए, इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलों के प्रति वे स्वयं गम्भीर नहीं हैं।
7. रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब में तहसीलदार सिणधरी ने प्रकट किया है कि ग्राम सिणधरी चौसीरा के खसरा नम्बर 61/11 रकबा 0.9951 हैक्टेयर में से कमशः 0.0003 हैक्ट., 0.0009 हैक्ट., 0.0014 हैक्ट., 0.0014 हैक्ट., 0.0014 हैक्ट., 0.0010 हैक्ट., 0.0010 हैक्ट., 0.0010 हैक्ट. कुल रकबा 0.0084 हैक्टर किस्म गै.मु.कब्रिस्तान भूमि पर गैर सायलों द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस दिनांक 08.07.2022 जारी कर दिनांक 21.07.2022 से पूर्व अतिक्रमित भूमि खाली करने अथवा स्वयं या प्लीडर को दिनांक 22.07.2022 को 10.30 बजे पूर्वाह्न अदालत हाजिर होने बाबत तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के पश्चात दिनांक 13.09.2022 को अपीलकर्ताओं द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 08.07.2022 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर होने से न्यायालय तहसीलदार सिणधरी के फैसला दिनांक 23.09.2022 तक अपीलकर्ताओं को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाने के बावजूद अपीलकर्ताओं लगातार अनुपस्थित रहे। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा गैर सायलों को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिए धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 23.09.2022 के द्वारा 50.00/- रूपये जुर्माना अधिरोपित करने एवं अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय में किसी भी प्रकार की विधिक या वाक्याती त्रुटि नहीं की गई है जिसके कारण प्रस्तुत अपीले आधारहीन और सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।
8. हमने उभय पक्ष की ओर से प्रकट तथ्यों एवं अभिलेखों पर मनन किया। जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर के आदेश क्रमांक प.12(3)(19)/राज. /99/3847-53 दिनांक 28.06.1999 एवं तहसीलदार गुड़मालानी के आदेश क्रमांक राजस्व/99/754 दिनांक 08.07.1999 की पालना में ग्राम सिणधरी चौसीरा के नामान्तरण संख्या 196 स्वीकृत दिनांक 30.09.199 द्वारा खसरा संख्या 61 रकबा 658-14 बीघा किस्म गै.मु.गोचर में से खसरा संख्या 61/11 रकबा 6-03 बीघा किस्म "गै.मु.आरक्षित" कब्रिस्तान हेतु आरक्षित भूमि दर्ज की गई। आदिनांक राजस्व रेकर्ड जगाबन्दी (संवत् 2076 से स्थायी) में उक्त भूमि

61/11 रकबा 6-03 बीघा (0.9951 हैक्टर) किस्म "गै.मु.कब्रिस्तान" कब्रिस्तान (चारागाह के लिए नहीं) के रूप राजस्थान सरकार खाता संख्या 1 में दर्ज है। राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी उक्त वादग्रस्त भूमि वक्फ सम्पत्ति के रूप दर्ज होने का अंकन में नहीं है न ही अधिवक्ता अपीलान्तरण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसमें उक्त भूमि वक्फ के रूप में दर्ज हो। उक्त विवादित भूमि आरक्षित प्रयोजन के अलावा अतिक्रमी द्वारा अवैध निर्माण कर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने पर न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा नियमानुसार जुर्माना राशि आरोपित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखली के निर्णय पारित किये गए। उक्त आरक्षित भूमि के सिणधरी से बाड़मेर स्टेट हाईवे से लगते हुए भाग पर 27 अस्थायी पक्का निर्माण एवं पांच पक्की दुकाने तथा बाईपास रोड़ से लगते हुए भाग पर 11 पक्की दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। जिनके विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत न्यायालय में प्रकरण संख्या 04/2022 से 46/2022 दर्ज रजिस्टर कर किये गये अतिक्रमण के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की गई। लिहाजा अपीलान्तरण की अपील सारहीन व विधिविरुद्ध होने से खारिज योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्तरण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त समस्त आठ यह अपीलें सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां लौटाकर तहसीलदार सिणधरी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम में विधिसम्मत अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें। निर्णय की एक-एक हस्ताक्षर सुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अश्विन के. पंचार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा